

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

क्रमांक—

/राजपत्र/शुल्क/2022-23

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

राजस्थान राजपत्र की अधि.सूचना मुद्रण/4(96)/03/पार्ट—/  
ई-गजट/ 5269 दिनांक 21.10.2019 के आदेशानुसार सर्व साधारण निजी व  
अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के लिये साधारण एवं असाधारण राजपत्र के ई-गजट  
प्रकाशन शुल्क वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये निम्न प्रकार दरें निर्धारित की  
जाती है:-

1. असाधारण राजपत्र प्रति पृष्ठ — 2795 रूपये
  2. साधारण राजपत्र प्रति पृष्ठ — 1398 रूपये
- उक्त दरें 01.04.2022 से प्रभावी होगी।

2095  
14/3/22

sd  
अधीक्षक

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज. जयपुर।
2. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर/ जोधपुर/ उदयपुर।
3. अधीक्षक क्लर्क ।
4. प्रभारी असाधारण राज पत्र प्रकाशन शाखा।
5. प्रभारी साधारण राज पत्र प्रकाशन शाखा।
6. प्रभारी राजपत्र।
7. नोटिस बोर्ड (मुद्रणालय/निदेशालय) चस्पा हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

प्रियंका

अधीक्षक

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।